कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 76 / 2280 / 10

जनपद अल्मोड़ा में कोटीला ग्वाड़ मार्ग के सुरईखेत तक मिलान हेतु मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अगस्त 2010

जनपद अलमोड़ा मे कोटिला ग्वाड़ मार्ग के सुरईखेत तक मिलान हेतु मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अन्तर्गत 15.00 कि0मी0 लम्बाई में कोटिला ग्वाड़ मार्ग के सुरईखेत तक मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.5.2010 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री के0के0पाण्डे के साथ निरीक्षण किया गया ।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु 15.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण का कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखन बनाये गये है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति, अधिक हेयर पिन बैण्ड एंव अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन 3.00कि0मी0 लम्बाई में निर्माणाधीन मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है तथा स्वीकृत लम्बाई में सुरईखेत पहुंच कर समाप्त होता है। इस मार्ग से ग्राम कोटिला, ग्वाड़, खरगेटी, फलद्वाड़ी, बिठोली, वलना एंव सुरईखेत आदि लाभान्वित होगें। समरेखन में छः हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है जो कमशः चैनेज कि0मी0 0.600, 1.625, 4.225, 10.025, 10.300 एंव 14.225 मे नियोजित किये गये है। एच0पी0 बैण्ड्स सामान्यतः दूर-दूर हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन अलग-अलग भाग में नाप भूमि, सिविल भूमि एंव अरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। कि0मी0 11 में समरेखन एक गदेरे को पार करता है जिस पर लघु सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी। टेरेस युक्त नाप एंव बंजर भूमि में भूमि का ढलान सामान्यतः 20^0 से 35^0के मध्य प्रतीत होता है। किन्तु अन्य स्थानो पर यह इससे तीव्र भी है। समरेखन क्षेत्र में संधियुक्त माईका शिस्ट एंव क्वार्टजाईट चट्टान है, जिनके ऊपर स्थान-स्थान पर मिट्टी/डेंब्री का ओवरबर्डन है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एंव उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में ही सावधानीपूर्वक बनाये जाये।

(ग) तीव्र ढलान मे मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ड) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाते हुये सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये, जिससे भविष्य में कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(च) जहां मार्ग कटान की ऊचांई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(छ) जहां आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधो का रोपण किया जायें, जिससे ढलानो पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सकें।

(ज) वर्षा के पानी के समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भांवना हो सकती है।

(ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जायें।

5. कोटिलाग्वाड़ मार्ग के सुरईखेत तक मिलान हेतु 15.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०–उ०/05 दि० 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

Photo copy attested.

[signature]

H. Kumar 25.8.10

भूवैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभि. स्तर-I

लो०नि०वि० उत्तरांचल

देहरादून